



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी- ~~111~~ 2003

दिनांक: 22.02.2022

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी, संभागीय लेखापाल
जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास
प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति सभी संभाग

विषय:- रेमिटेंस हेड 8782-102-01 में राशि जमा करने विषयक ।

सन्दर्भ:- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 ।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के अनुभाग-V के पैरा 9 (3) के प्रावधानों के अनुसार निर्माण विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशियाँ किसी भी परिस्थिति में "सस्पेंस शीर्ष" या "Remittance Head" में जमा नहीं की जाएगी, सीधे सम्बंधित राजस्व/लोक लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी ।

परन्तु कुछ संभागों द्वारा उक्त आदेश लागू होने के पश्चात भी प्राप्त की जाने वाली राशियाँ रेमिटेंस हेड 8782-102-01 में जमा की जा रही है ।

अतः, सभी सम्बंधित संभागीय लेखापाल/संभागीय लेखा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सस्पेंस हेड में जमा की गयी राशियों को सही लेखा शीर्ष में वर्गीकृत करने हेतु Transfer Entry दिनांक 25.02.2022 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भिजवायें ।

इसे वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि.ले.) के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1